

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक-7/7/2017

संख्या-1/नियो०प्रो० 04/16 श्र०सं०...83.../बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के मूल कोटि के प्राचार्य, वेतनमान लेबल 9 के पदाधिकारी श्री नागेश्वर यादव, वरीयता क्रमांक 12, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना को प्रवर कोटि प्राचार्य, वेतनमान लेबल 11 में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति देते हुए यथावत् प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. पदभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।


3. उक्त औपबन्धिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी) सं० 29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 1/नियो०प्रो० 04/16 श्र०सं०...83.../ पटना-1, दिनांक-7/7/2017

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा० नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/ अधिसूचना में नामित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव